

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे /  
कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल राज कार्य में  
व्यस्त होने के कारण दिनांक 18/8/23  
के राजस्व मुकदमा में आगामी गरीब  
पेशी दिनांक 11/10/23  
का काम की जाती है।

11/10/23

पत्रावली आज पेश हुई। उन्नयपत्र अधिवक्ता  
उपस्थित। उन्नयपत्र अधिवक्ता की बहस  
सुनी गयी। प्रतिवादीजु परिशे अधिवक्ता  
श्री सुधीर कुमार जैन ने प्रार्थना पेश  
किया। जिसकी प्रति वारी वकील की  
दिलवायी गयी। प्रतिवादीजु ने बताया  
की हेमा उर्फ हेमसिंह की दिनांक 26-4-  
2021 को मृत्यु हो गयी थी। और  
उसके फायदा मुकाम की within limited  
रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। इसलिये दावा  
व्यक्त हो चुका है। प्रतिवादी वकील ने  
निवेदन किया कि हेमा उर्फ हेमसिंह की  
मृत्यु हो जाने के पश्चात वादान्तगत  
भूमि उसके वारिसान (1) प्रीति पुत्री  
हेमा, (2) राजीत पुत्र हेमा (3) हेमकर  
पति स्व. हेमा के नाम विरासत का  
ग्रहण करके तारीख दिनांक 6-10-22  
को किया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड  
अभावदी में दर्ज हो चुका है।

हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम की  
तामीर में जारी हुए

खतियारी ने भूमि की परिधि रजिस्टर्ड  
विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 को बिलान  
दिनांक 21-8-2023 को किया जा चुका है।  
खतियारी वदी का ठेका कर एक बार  
में नहीं रहा। हमने पत्रावली का  
अवलीकरण पत्रावली में उपलब्ध  
सूचनाओं का अवलीकरण अवलोकन किया  
है। प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र के  
साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं ग्राम  
पंचायत ईस्तरा का हेमस्ति 3/0  
दरमिष्ट कोठ्यारी की मुल्य पिनॉठ  
26/04/21 को हो जाने की अधिसूचना  
प्रस्तुत की। खतियारा ठेका इस दौरे  
के अंगे चलाये जाने का कोई  
आदेश नहीं रहा। अतः पत्रावली  
खारिज की जाती है। पत्रावली  
जिसल सुमार ही नम्बर 4 का क्रम  
की जाकर हाजिल ईफतर है।

उप जिला कलेक्टर  
चौथ वन नरवाड़ा